

26/4/22

आज पत्रावली फेरुहई। वृत्तियम प्रतिवादी

उपस्थित हैं। बार-बार काकाप दिखाने के बाद भी वही शर्त वाली के वहील उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थना का

मूल वाद काज अहम धरिरी व अहम पेशी में खारीज किया जा चुका है।

अतः एर 212 RT Act की प्रावली के अन्वये जाने का ठीक ठीक पेट नही है। अतः खरुण में अग्रिम डारफाही

इसी स्तर पर D का प्रस्ताव खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फेरुहई

शुभार खरुण नखर ले उमर के बाद लखमिल शामिल मूल वाद रहे

सिहायक कलेक्टर
मण्डावर (अलवर) राज०